

**Investigation into non-payment of
Income Tax by Birla Group**

*994. SHRIMATI MRINAL GORE:
Will the Minister of FINANCE be pleased to lay a statement showing :

(a) whether the investigation into the non-payment of income-tax and avoidance of income-tax by several firms controlled by Birla Group have been completed;

(b) if so, what are the names of the companies and the charges; and

(c) if the investigations are complete, the action taken against these companies ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) to (c). The process of unearthing tax-evasion and avoidance is a continuous one. The cases of the Birla Group continue to be under investigation.

2. During the financial years 1976-77 and 1977-78, besides other cases, the cases of Electric Equipment and Construction Company Limited, Hyderabad Asbestos Cement Products Ltd., India Steamship Company Ltd., Hindustan Aluminium Corporation Ltd., Gwalior Rayon and Silk Manufacturing Company Ltd., Kesoram Industries and Cotton Mills Ltd., Orient Paper Mills Ltd., and Texmaco Ltd. belonging to the Birla Group have been investigated. Tax avoidance and evasion through various devices including claim for bogus selling commission, inflation of purchases, excessive capitalisation for claiming higher development rebate and depreciation, wrong claim for bad debts, under valuation of closing stock, passing of capital outlay as revenue expenditure etc. have been detected. Assessments have been and are being made after making necessary disallowances and additions; penal proceedings being initiated wherever called for.

श्रीमती मृणाल गोरे : अध्यक्ष महोदय, मैं समझ सकती हूँ कि विडला जैसे उद्योग समूह से सम्बन्धित कम्पनियों की जांच सतत रूप से चालू रहेगी और रहनी चाहिये। एक मंत्री महोदय के जवाब से मैं देख रही हूँ कि कर की चोरी का कोई भी तरीका इन लोगों ने छोड़ा हो—ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि कई बार इस लोक सभा में इसके बारे में सवाल पूछे गये हैं लेकिन

बार बार यही जवाब सुनने में आया कि जांच चालू है, जांच की कार्यवाही चालू है और इसके बारे में जो भी मालूम हो जायेगा वह टेबल पर रख दिए जायेंगे। 8 जुलाई, 1977 को श्री हुकम देव नारायण यादव ने जो सवाल क्रमांक संख्या 2911 पूछा था जिसका सम्बन्ध सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से था, उसके भाग (ख) और (ग) की सूचना के सम्बन्ध में उत्तर देते हुये बतलाया गया था कि सूचना एकत्रित की जा रही है और बाद में सभा पटल पर रख दी जाएगी। इस प्रकार जांच तो हमेशा चालू रहेगी इसमें कोई शक नहीं है परन्तु मेरा प्रश्न है कि जिन कम्पनियों के नाम दिये हैं उनके बारे में 1976-77 साल में किसी भी कम्पनी की जांच पूरी नहीं हुई कि कितनी चोरी हुई और कितना दण्ड लगाया गया—क्या कोई एक भी आंकड़ा सरकार इन कम्पनियों के बारे में नहीं दे सकती है ?

SHRI H. M. PATEL : I am afraid there is certain misunderstanding. Continued investigation does not mean that there is no recovery of taxes from these groups. I think the Birla Group of companies pays regularly at least Rs. 50-60 crores every year in taxes; investigation does not mean that no recovery is being made.

Take Electric Equipment and Construction Company Limited. I mention the type of things that were found and what is being done. There was a claim of substantial commissions paid through cheques to various persons. I hope other do not learn from this. Those persons are alleged to have rendered services for obtaining orders from the State electricity boards and other parties. Enquiries from electricity boards and other parties revealed that those persons did not render any service and some of the persons were found to be non-existent. The entire claim of commissions being bogus is proposed to be disallowed and an addition of Rs. 6.81 lakhs is proposed to be made on this score in the assessment year 1971-72 reopened for this purpose. Similar claims in other areas are being enquired into.

In the case of Hyderabad Asbestos Cement Products Ltd., the company claimed mining expenses in Nepal which were found on enquiry to be expenses on exploring and prospecting. It was further found that the mines were not commercially exploited at all. The company surrendered for taxation a claim to the extent of Rs. 47 lakhs. The same company also claimed substantial mining expenses as revenue expenses in respect of Indian mines. On investigation they were found to be developing and prospecting expenses. They were in the nature of capital expenditure. The amount of Rs. 42 lakhs was determined as capital expenditure to be disallowed during the assessment years 1964-65 to 1972-73. Some of the assessments are yet to be made. Similar disallowance has been made in the assessment year 1973-74. The company also claimed commission paid to certain associated concerns; the payment was found to be made for no services having been rendered at all by the payees.

एक माननीय सदस्य : क्या यह दोबारा पढ़ रहे हैं ?

SHRI H. M. PATEL : I am only telling दोबारा नहीं पढ़ रहा हूँ—

I hope you are understanding what I am saying.

India Steam Ship Company Limited. The shipping companies are entitled to development rebate allowance at 40 per cent to total cost of purchase of a ship in addition to usual depreciation to the extent of full cost. Thus

श्रीमती मृगाल गोरे : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इस स्टेटमेंट को यहां रख देते तो अच्छा था। इस तरह पढ़ने में तो बहुत समय चला जाएगा और हमको प्रश्न पूछने का समय नहीं मिलेगा।

SHRI H. M. PATEL : I think it is desirable that you know this. If you want to ask other questions, I am willing. But this will be of interest to you. Thus for capital expenditure of say, Rs. 100, the total deduction allowed to the shipping companies comes to.... (Interruptions)

MR SPEAKER : Mr. Minister, there are two things. You could have given this in a proper statement because it is a very long statement. I am only suggesting

to you. And further from what you say, it looks as if a separate income-tax department is necessary for this company.

SHRI H. M. PATEL : May I say that it is necessary and that is why we have in fact a cell in Delhi? I may say that I could not have given this kind of information in a statement because I had to reply to the questions. It is arising from this question that certain additional information is furnished. If the House do not wish to hear information of this kind, I will keep them. Otherwise, I would say that this is of interest. If you like, let me give you the information about his company only. I need not give you anything more.

SHRI KRISHAN KANT : The details should be laid on the Table of the House.

SHRI H.M. Patel : It is not exhaustive. (Interruptions).

श्रीमती मृगाल गोरे : अध्यक्ष महोदय, इस तरह मुझे दूसरा सवाल पूछने का समय नहीं बचेगा। मैंने पहले सवाल में पूछा था—इसके बारे में कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है....

MR SPEAKER : Shrimati Gore, may I suggest to you a course? After the supplementary, we shall leave it for a half-an-hour discussion.

SHRI H. M. PATEL : No, no. There is no point in half-an-hour discussion.

MR SPEAKER : It is a very important matter.

SHRI H. M. PATEL : I have no objection to half-an-hour discussion. (Interruptions) I am saying that it is not strictly correct. I think you must be aware that the Birla Group consists of a very large number of companies. For instance, the Report of the Industrial Licensing Policy Enquiry Committee, 1969 lists 203 companies as belonging to larger industrial houses of the Birlas. The said report also lists in addition 73 companies as Birla second-tier companies.

SHRI HARI VISHNU KAMATH : Birla Empire.

SHRI H. M. PATEL : Of course. Now they have gone upto a much larger number. To give you an idea of what is involved, I was trying to give you instances of some of the major companies as to what is happening. The entire thing would mean that you will have to write volumes, and I do not think that the House has time either in half-an-hour discussion or otherwise, to do this thing.

It is not necessary either. But I can assure the House that all these matters are being fully investigated and nobody is allowed (Interruptions).

SHRI C. M. STEPHEN : The whole matter is covered in a report of Public Accounts Committee, which we have submitted to the House.

SHRI H. M. PATEL : The hon. Member is now telling this. But he aware as to for how many years the Sarkar Commission which they had appointed many many years ago has been working on this thing. Why did they not do anything about it, and allowed it to go on for many, many years? It is still to report. We are definitely going into this thing and see that the matter is investigated.

श्रीमती मृणाल गोरे : आपने जो यह अलग अलग कम्पनियों के मामलों के बारे में बताया, यह बिल्कुल सही है कि वोल्यूम भर जायेंगे लेकिन बिड़ला कम्पनियों की चोरी का कभी पता नहीं लगेगा। सवाल यह है कि इनमें जो जांच चल रही है, उसके बारे में आपने कुछ किया है या नहीं? किस प्रकार की कार्यवाही की और क्या दंड उन्हें मिला और मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि क्या दूसरी कायवाही उनके खिलाफ नहीं हो सकती है?

SHRI H. M. PATEL : We are taking all steps that we can, as is called for.

SHRIMATI MRINAL GORE : What are the steps? प्रोसीक्यूसन किया है।

SHRI H. M. PATEL : All manner of steps. I think prosecution comes in at a certain stage. Before that, I may tell you that the number of cases in which there are court orders which prevent any further action being taken against the tax payers, is very large. For instance, I will give you a case here. There is one instance of Shri Raja Baldev Das Birla, Jaipur and of Shri Santosh, Pilani. From 1970-71 to 1974-75 there were demands of Rs. 11-odd lakhs each year. This whole demand has been stayed by the Calcutta High Court. I can go on giving you cases.

MR SPEAKER : Her question is not whether action has not been taken, but

1014 L.S. 2

in how many cases have you been able to take action: and what action has been taken.

SHRI H. M. PATEL : Action means that you disallow certain items that may be called for; and the amount of tax payable is increased—which they have to pay. The point then is, is it that since it is paid, there is no further action called for? Penalties are also levied, as called for under the rules. For this the whole processis gone through.

AN HON. MEMBER : Why not Tihar jail?

श्री विजय कुमार मलहोत्रा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूँ कि उन्होंने जो यह बताया है कि कुछ केसेज में तो इन्वेस्टीगेशन हो रहा है, कुछ कोर्ट में पड़े हैं, कुछ कोर्ट ने रोक दिये हैं और ऐसा लगता है कि कोई एक्शन उनके खिलाफ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि बिरला के मामले बहुत समय से पड़े हुये हैं, तो क्या वे इस बात पर विचार करेंगे कि जो मामले कोर्ट में बिरला के खिलाफ पड़े हुये हैं उनके लिए एक स्पेशल बेंच बनाई जाये? कोर्ट में 15, 15 साल से मामले उनके खिलाफ पेन्डिंग पड़े हुये हैं और मामले इन्वेस्टीगेशन में हैं। क्या मंत्री महोदय की नालिज में यह है कि जो आदमी इन्वेस्टीगट कर रहे थे, उनमें से बहुत से बिरला के यहां जा कर नौकरी करने लग गये हैं और बिरला ने उनको बहुत बड़ी बड़ी पेमेन्ट पर रख लिया है और उन्होंने इन केसेज को खराब किया है? क्या मेम्बर आफ पार्लियामेंट की कोई ऐसी कमेटी बन सकती है जो इस सारे मामले की जांच करे और यह देखे कि जो इन्वेस्टीगेशन करने वाले लोग हैं, क्या बिरला के प्रेसर में आकर तो कहीं उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और कोई गड़बड़ तो नहीं है। इसके लिए आपने क्या किया है?

करे। उस का यह अधिकार हो जाता है कि वह अपना पूर्ण जीवन जिधे और उसको वह सारी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायें जो जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं। यह बात अगर कहीं भी स्वीकार की गई तो हम उसकी भूरिभूर प्रशंसा करते हैं। महाराष्ट्र को सरकार ने एम्प्लायमेंट गारंटी की स्कीम लागू की है और केन्द्रीय सरकार के सामने वह स्वीकृति के लिए है। अभी उसको स्वीकृति नहीं मिली है। मैं मानता हूँ कि न केवल उसको ही केन्द्रीय सरकार स्वीकृति देगी बल्कि सभूचे देश के लिए इसे स्वीकार किया जाएगा और लागू किया जाएगा। हमारे माननीय प्रधान मंत्री सही माने में इस देश के महान गांधीवादी नेता हैं। सत्य पर उन की अटूट निष्ठा है। यह जो घोषणापत्र तैयार किया गया था इसमें उन की भी सहमति है। यह वचन उन्होंने दिया है कि देश की जनता को इसलिए उनसे हमारी यह अपेक्षा है कि वह यह अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जिससे आगे आने वाली मानव जाति उन्हें हमेशा-हमेशा के लिए याद रखे कि उन्होंने अपने देश के नागरिकों को काम करने का मौलिक अधिकार प्रदान किया, हिन्दुस्तान को उन्होंने यह अमिट वरदान दिया और आगे आने वाली संतति के लिए भी सदा सदा के लिए यह वरदान दिया। कभी कभी वह यहां कह दिया करते हैं कि यह अनएम्प्लायमेंट एलावेंस नहीं दिया जा सकता है क्योंकि यह डोल है, यह भिक्षा है, दान है। किन्तु यह भिक्षा नहीं है। यह अधिकार है। काम प्राप्त करने का हिन्दुस्तान के प्रत्येक नागरिक को अधिकार है। वे भीख नहीं मांग रहे हैं, यह हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। इस देश में हम पैदा हुए और आप से चाहते हैं कि आप इस अधिकार को स्वीकार करें और मान्यता प्रदान करें क्योंकि आप ने वचन दिया है और आपके वचन पर अगर हिन्दुस्तान का नागरिक विश्वास नहीं करेगा तो फिर कौन सा ऐसा व्यक्ति इस देश के अन्दर है जिस के वचन पर विश्वास

किया जायगा? इसलिए इस बात को नहीं कहना चाहिए कि यह डोल है, यह दान है, यह भिक्षा है। यह भिक्षा नहीं है। यह हमारा अधिकार है और हमें प्राप्त होना चाहिये। यहां के हर नागरिक को हर नवयुवक को यह मिलना चाहिए। इससे उसको वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप वंचित रखना चाहेंगे तो इस देश की जनता अब यह जान गई है कि वह अपना अधिकार कैसे ले सकती है। अगर उसने अपनी लोकतांत्रिक आजादी का अधिकार ले लिया है तो वह काम और जीविका का अधिकार भी ले लेगी। श्रीमती इंदिरा गांधी जो कहा करती थीं कि 26 जून 1975 के पूर्व की स्थिति अब इस देश में कभी नहीं आएगी, वह समझती थी कि इस देश की नियति का निर्णय करने का अधिकार केवल उनको है, लेकिन देश की जनता ने बता दिया कि 26 जून, 1975 के पूर्व की स्थिति आएगी तुम चाहो या न चाहो, तुम्हारी कुछ भी स्थिति नहीं है। देश की जनता ने यह बता दिया कि 26 जून 1975 के पहले की स्थिति हम लौटा कर ही रहेंगे और वह कर के दिखा दिया। अगर हम यह कहेंगे कि यह अधिकार हम तुम्हें नहीं प्रदान करेंगे तो जिस तरह से उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी से वह अधिकार ले लिया और उनको इतिहास के गर्त में ढकेल दिया, उसी तरह इतिहास के गर्त में हमारा भी कहीं पता नहीं रहेगा अगर हम ने अपने वचनों को पूरा नहीं किया।

आज देश के नवयुवकों को बहुत बड़ा आघात लगा है। उनके सामने एक बहुत बड़ी बाधा है भविष्य की अनिश्चितता की। उनकी इस भविष्य की अनिश्चितता को मिटाना, उनके भविष्य में प्रकाश लाना-यह हमारी सरकार का दायित्व है, सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य का यह दायित्व आज से ही नहीं है, प्राचीन काल में भी माना गया था कि राज्य का दायित्व है कि जो लोग उस राज्य में बसते हैं, उनको आघात से बचाये,

डी० डी० टी० का छिड़काव किया गया है । 1978-79 के लिये बिहार के सम्पूर्ण राज्य के लिए एक व्यापक नियंत्रण कार्यक्रम तैयार किया गया है । इस नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत डी० डी० टी० का छिड़काव (रोग से प्रभावित क्षेत्रों में दो बार), रोगियों का पता लगाना तथा उनका उपचार करना, कामिकों को प्रशिक्षण देना तथा अनुसन्धान कार्यक्रम चलाना, शामिल हैं । वर्ष 1978-79 के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता के रूप में 134.85 लाख रुपए का कुल परिव्यय रखा गया है । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार रोगियों के उपचार के लिए औषधियां देगी ।

2. बिहार को छोड़कर अन्य राज्यों में काला-अजार सम्बन्धी सेवायें प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय में एक केन्द्रीय सर्वेक्षण दल बनाया है ।

3. रोग से प्रभावित लोगों को दवा-इयां उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को एंटीमनी औषधियां प्रदान की हैं ।

4. जिन रोगियों पर एंटीमनी औषधियों का असर नहीं होता है उन्हें पेन्टामिडाइन तथा लोमिडिन औषधियां देने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ये औषधियां खरीद की हैं और बिहार तथा अन्य राज्यों को दे दी हैं ।

5. केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने स्वयं मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी तथा सहर्सा जिलों के काला-अजार से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है तथा इस कार्यक्रम का निरीक्षण किया है ।

6. बिहार में क्षेत्रीय कार्यकलापों का निरीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के केन्द्रीय दलों ने कई बार दौरे किये हैं ।

7. काला-अजार के निदान तथा नियंत्रण के बारे में चिकित्सा तथा परा-चिकित्सा कामिकों को प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारम्भ किया गया है ।

8. इस रोग को फिर से फैलने से रोकने के उपाय सूझाने के लिए अनुसन्धान कार्य किया जा रहा है ।

श्री राम विलास पासवान : मैंने इस मामले को बहुत पहले उठाया था । उस समय उठाया था जब किसी का इस ओर ध्यान नहीं गया था । मैंने रूल 377 के तहत इस मामले को उठाया था । 9 जुलाई की यह बात है । उस समय सरकार की ओर से कहा गया था कि काला अजार से सिर्फ सात आदिमियों की मौतें हुई हैं । मैंने सरकार को उस समय चैलेंज किया था कि सात आदिमियों की नहीं अकेले वैशाली जिले में दो हजार लोग मरे हैं । इसी हाउस में मैंने कहा था इस चीज को । मैंने यह भी कहा था कि यदि सरकारकी रिपोर्ट सही होगी तो मैं इस सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा । यह मैंने चैलेंज देकर कहा था उस समय । अफसोस की बात है कि कितनी गड़बड़ रिपोर्ट दी जाती है । मंत्री महोदय यहां बैठे हुये हैं । जो उनको लिख कर दे दिया जात है वही पढ़ देते हैं । श्री यादव ने एक प्रेस कांफ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने स्वयं बताया था कि बिहार के चार जिलों में काला-अजार से चार हजार लोग मारे हैं । यह 25 सितम्बर की प्रेस कांफ्रेंस उन्होंने कहा था और 27 सितम्बर के हिन्दुस्तान में यह छपा था ।

दिल्ली के राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान द्वारा गत अगस्त के बौरान विहार के वैशाली, मुंजफरपुर, समस्तीपुर तथा सीतामढ़ी जिलों का सर्वेक्षण करने के बाद बताया गया था कि साठ सत्तर हजार व्यक्ति काला अजार से पीड़ित हैं तथा आठ हजार व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। यह बात स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े संस्थान ने कही है। 1 सितम्बर के पेपर में आया है कि बिहार की स्वास्थ्य सेवा निदेशक, श्रीमती डा० स० टिकी, ने हाजीपुर में निरीक्षण करके कहा कि अकेले वैशाली जिले में 800 गांव काला-अजार की चपेट में हैं। मैंने यह मांग की थी कि काला अजार की रोक-थामके लिए डब्ल्यू० एच० ओ० के लोगों को बुलवाया जाये। एक सेंट्रल कमेटी जांच करने के लिए वहां विहार में गई थी। बाद में डब्ल्यू० एच० ओ० के लोग भी वहां गये थे। उन लोगों ने वहां पर जा कर जांच और सर्वेक्षण किया।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के मलिक आप हैं, आप हम लोगों को गाइड कीजिये कि हम कैसे काम करें। मैं लगातार कहता आ रहा हूँ कि काला अजार से दो हजार से ज्यादा आदमी मरे हैं और सरकार का जवाब बार-बार आता है—अभी भी उसने यही कहा है—कि 270 लोग मरे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह सरकारी रिपोर्ट सत्य है कि 270 आदमी मरे हैं या सरकार के ऑफिशलज, और खुद मंत्री महोदय, ने एन्क्वायरी करने के बाद जो यह कहा कि 4,000 लोगों की मृत्यु हुई है, वह सत्य है।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार काला-अजार की रोक-थाम के लिए क्या कार्यवाही कर रही है। दिल्ली के अख-बारों में आया है कि यहां पर मलेरिया पहले से छः गुना बढ़ रहा है। मैं बताना

चाहता हूँ कि मलेरिया का डेवलप रूप काला अजार है। यदि सरकार मलेरिया को नहीं रोक सकेगी, तो वह काला-अजार को भी नहीं रोक सकेगी। मलेरिया के केसों में छः गुना वृद्धि हो गई है और 29 अप्रैल के समाचारपत्रों में आ रहा है कि उत्तर विहार में काला-अजार का पुनः प्रकोप हो गया है और दस हजार आदमी उससे बीमार हैं। इसलिए सरकार को इस बीमारी की रोक-थाम के लिए युद्ध-स्तर पर काम करना चाहिये।

बिहार में पेंटासाइडीन इन्जेक्शन और इस बीमारी की रोक-थाम की दूसरी दवायें सड़ गल रही हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि वास्तव में कितने लोग काला-अजार से मरे हैं, और काला-अजार तथा मलेरिया की रोक-थाम के लिए सरकार के द्वारा अभी तक क्या कदम उठाये गये हैं और वह आगे क्या कदम उठाने जा रही है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : माननीय सदस्य ने बहुत से सवाल एक साथ उठा दिए हैं। एक बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहां जहां काला-अजार का प्रकोप हुआ है, वहां मैं गया हूँ और बाद में मैं सहरसा में भी गया हूँ। हमने अपने विभाग के अधिकारियों को भी वहां भजा था।

मैं यह भी सूचना देना चाहता हूँ कि हमने माननीय सदस्य से यह आग्रह किया था कि हमारे लोग वहां जा रहे हैं, इसलिए जिस जिस एरिया में यह बीमारी फैलने की उन्हें जानकारी हो, वह बता दें। लेकिन उन अधिकारियों को सहयोग देने में वह असमर्थ रहे। अगर वह यह जानकारी दे देते, तो अधिक अच्छा होता और इस काम को करने में आसानी होती।

जहाँ तक जानकारी रखने की बात है, मेरे पास बिहार के एक एक हिस्से की जानकारी है और उसका सर्वेक्षण किया गया है। इस नकशे में जहाँ लाल रंग है, वह वैडली एफेक्टिड है, जहाँ हरा रंग है, वह उससे कम एफेक्टिड है और जहाँ पीला रंग है, वहाँ यह बीमारी स्कैंटी है। वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और सीतामढ़ी के अतिरिक्त सहरसा इस बीमारी से प्रभावित हैं।

MR. SPEAKER: Anyway, that is not the proper way.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : इन पोस्टरों से पता चलता है कि कैसे इस बारे में प्रचार किया जाता है और कैसे इस को रोका जा सकता है। इस के लिए भी प्रयास किया गया है। जहाँ तक हो सकता है, इसकी रोक-थाम की दवाओं को सब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है।

दूसरी बात—इन्होंने मलेरिया और कालाजार को मिलाने का प्रयास किया है। मलेरिया का कीड़ा दूसरा होता है। काला-जार का सेंट फ्लाई होता है, यह उड़ता भी नहीं है। वह उड़ता है। प्रिवेंटिव मेजर का जहाँ तक सवाल है दोनों में डी०डी०टी० काम आता है और डी०डी०टी० की जितनी आवश्यकता है उसको हमने पूरा करने की कोशिश की है। एक छिड़काव कौन कहे, दो दो छिड़काव के लिए हमने साधन दे दिये हैं। जितनी दवाइयों की आवश्यकता है उतनी दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध करा दीं हैं। तो जो भी व्यवस्था हो सकती है चाहे हमने खुद जा कर के चाहे अधिकारियों को भेज करके कर दी है और बिहार सरकार को भी इन्लाइटेन कर दिया है। तो बिहार सरकार भी उसके लिए तैयार है। मैं समझता हूँ कि मैंने पूरी सूचना इस विवरण पत्र में दे दी है। अगर आप कहें तो मैं फिर पढ़ दूँ—
134.86 लाख रुपये उसमें खर्च करने की

स्कीम हमने बना दी है 1978-79 के लिए, उसमें छिड़काव, पम्प और दवा वगैरह सब के लिए व्यवस्था कर दी है। दो तीन जिलों में तो छिड़काव प्रारंभ हो गया। दो तीन जिलों में और शुरू है और जिलों में भी दो चार दस रोज में छिड़काव का काम प्रारंभ हो जायगा। तो यह जो कहा जा रहा है कि हमने पूरी तैयारी नहीं की, यह बात नहीं है। हमने पूरी तैयारी की है और यह हमने उस समय भी वैशाली और मुजफ्फरपुर में जाकर कहा है।

एक माननीय सदस्य : आदमी कितने मरे हैं ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : आदमी की मौत का निश्चित डाटा देना बहुत कठिन है। इसी एन्क्वायरी के लिए हमने अपने अधिकारियों को वहाँ भेजा। आज माननीय सदस्य यहाँ कह रहे हैं लेकिन मैंने अधिकारी भेजा माननीय सदस्य को साथ देकर के और उनसे कहा कि जहाँ जहाँ उन्होंने हजारों के मरने की बात देखी है उस गांव के बारे में हमको बता दें ताकि हम और लोखा जोखा ले सकें, लेकिन वहाँ पर हमारे माननीय सदस्य नहीं उपस्थित हो सकें। तो हमको जो सरकारी आंकड़े मिले हैं, जो खोज खबर से सूचना है वह 229 की 1977 की है और 6 इधर की मिली है। इसीलिए हमारे पास आंकड़े गिनती के हिसाब से जो आ सके हैं वह आए हैं। और भी कुछ मरे हों तो वह हम वहीं कह सकते लेकिन वह आंकड़े उपलब्ध भी नहीं हो पा रहे हैं उपलब्ध करने के लिए हम अपने अधिकारी को भेजते हैं, अगर माननीय सदस्य अभी उसमें जानकारी देने की कोशिश करेंगे तो हम उस जानकारी को हमेशा लेने को तैयार रहेंगे।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न था, उसका जवाब नहीं आया। मैं मंत्री महोदय की सराहना करता हूँ कि उन्होंने युद्ध स्तर पर काम किया।

लकिन मैं इतना ही पूछना चाहता था कि मंत्री महोदय का वह जवाब सही था कि 4 हजार लोग मरे हैं या सरकारी रिपोर्ट में जो उन्होंने कहा है कि 270 लोग मरे हैं वह सही है ?

MR. SPEAKER: He has said that it was only a rough estimate. After enquiries, he has satisfied himself about correct facts. It may be right or it may be wrong, I am not concerned about it. Please asked the second supplementary.

श्री राम विलास पासवान : मेरा दूसरा प्रश्न है। यह स्थिति इतनी भयंकर है कि चार हजार लोग मरे हैं, मंत्री महोदय भी इसको कबूल करते हैं लेकिन सरकार चलाने का अपना हथियार है और मंत्री महोदय बहुत बारीक तरीके से निकल रहे हैं। मैं दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूँ, मैंने पहले भी पूछा था कि क्या इन चार जिलों में भी कालाजार है या बिहार से बाहर हरयाना, उत्तर प्रदेश इन दूसरे सुबों में भी आने लगा है और यदि आने लगा है तो सरकार कालाजार को युद्धस्तर पर रोकने के लिए भविष्य में क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री जगदम्बो प्रसाद यादव : जहाँ तक 1978 का सवाल है 1978 में दूसरे और किसी राज्य से सूचना नहीं मिली है कि वहाँ कालाजार हो रहा है। 1977 में कुछ केसेज की खबर मिली थी जैसे बंगाल, मेघालय और एकाध और जगह से यह खबर मिली थी और वह भी कम्प्यूनिकेबल डिजीज के कारण, जैसे दो बीमार विलिंगडन में आए थे तो वह भी दोनों बीमार बिहार के थे, लौट करके चले गए। इसी तरह बंगाल में भी जो कुछ बीमार हुए थे, वह भी कम्प्यूनिकेबल डिजीज होने के कारण 1977 में वहाँ गए थे। मेघालय से जो सात केसेज की रिपोर्ट आई थी वह भी पहले के ही थे और वह बीमार चल रहे थे। दूसरे किसी प्रदेश से 1978 में हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली बिहार को छोड़ कर और बिहार में भी

जो भयंकर स्थिति की बात है तो हम ने सारे 31 जिलों को जो एग्जामिन कर के देखा तो जिस जिले में काफी है उस में तो हमने दो बार छिड़काव की पूरी व्यवस्था कर दी है। जिसमें थोड़ा भी है उस को भी हमने छिड़काव के लिए लिया है और सारे बिहार के लिए जो मलेरिया के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं डी डी टी स्प्रे का, प्रिवेंटिव मेजर्स मलेरिया और कालाजार दोनों के लिए एक ही है। इसलिए सम्पूर्ण बिहार उसमें कवर्ड है। इस तरह से सम्पूर्ण बिहार में हम वार फुटिंग पर कहिए या जिस फुटिंग पर भी चाहिए, हम इस काम को कर रहे हैं।

श्री विनायक प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, विगत वर्ष सहरसा जिले के खानवरसा ब्लाक में कालाजार से पांच सौ आदमियों की मृत्यु हुई थी जिसके सम्बन्ध में मैंने यहाँ पर नियम 377 के अन्तर्गत उल्लेख किया था। मंत्री महोदय भी उस ब्लाक में घुमने गये थे और उन्होंने स्वयं भी देखा परन्तु उनके आने के बाद वहाँ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। इसका नतीजा यह हुआ है कि सहरसा जिले के जो अन्य ब्लाक हैं वहाँ भी कालाजार भयंकर रूप से शुरू हो गया है और सैकड़ों आदमी मरे हैं। मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, मंत्री जी खुद वहाँ देखकर आए हैं, उनके साथ अफसर भी गए थे लेकिन उनके आने के बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उसका क्या कारण है ?

दूसरी बात यह है कि डी डी टी के बारे में आजकल यह कहना है कि जहाँ भी उसका छिड़काव होता है वहाँ उससे मच्छर नहीं मरते हैं। हम लोग अपने घर में ही डी डी टी छिड़कते हैं लेकिन एक भी मच्छर नहीं मरता है। पता नहीं डी डी टी मरी हुई है या क्या बात है। क्या मंत्री जी इसकी जांच करेंगे।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : जहां तक सहरसा का सवाल है, 1977 में वहां पर 455 केसेज हुए थे और 1977 तथा 1978 को मिलाकर 1464 केसेज हुए हैं और तीन मौतों की खबर है ।

जहां तक डी डी टी के छिड़काव का सवाल है, मलेरिया के जो कीटाणु हैं उनमें कहीं कहीं पर डी डी टी के प्रति रेजिस्टेंस है इसलिए वहां पर दूसरी चीज जैसे वी एच सी या मैलाथियान का प्रयोग किया जाता है । लेकिन कालाजार के सिलसिले में कहीं से यह रिपोर्ट नहीं आई है कि डी डी टी के छिड़कने से सैंड फ्लाय नहीं मरती है । इसलिए इस के सम्बन्ध में यह प्रश्न नहीं उठता । परन्तु जहां तक छिड़काव की बात है हम अभी भी उसमें लगे हुए हैं । चार जिले जो हैं, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और सहरसा में दो बार छिड़काव करने का प्रवन्ध कर दिया गया है ।

श्री विनायक प्रसाद यादव : छिड़काव नहीं किया गया है, छिड़काव होता भी है तो मच्छर मरते नहीं हैं ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : उसका समय आ गया है, छिड़काव प्रारम्भ हो जायेगा अगर अभी तक नहीं हुआ है ।

श्री मृत्युंजय प्रसाद : मैं मंत्री जी का ध्यान इस पहलू की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि मैं खुद भी कालाजार का मरीज रह चुका हूँ लेकिन उस जमाने में जबकि यह दवायें नहीं थीं, जब यह समझा जाता था कि इस मर्ज के शत प्रतिशत रोगी मर जाते हैं—सन् 1920 में—लेकिन उस समय जो ब्रह्मचारी की दवा थी, मैं नाम भूल रहा हूँ,—हां याद आया टारटार एमेटिक (Tarter-Emetic) उसकी वजह से किसी तरह से बच गया और आज आपसे बातें कर रहा हूँ ।

MR. SPEAKER : Are you suggesting that without medicine it is better?

श्री मृत्युंजय प्रसाद : उसका असर यह हुआ कि कालाजार तो चला गया परन्तु वह रोग अपना असर मेरे स्वास्थ्य पर छोड़ गया । आज वे दवायें तो छोड़ दी गईं लेकिन नयी नयी दवायें निकली हैं जिनका आफ्टर इफेक्ट, वाद का असर कुछ भला नहीं रहा है, वैसा ही रहा है । इसलिए कालाजार की रोकथाम के लिए आप सैंट फ्लाय मारें, मच्छर मारें परन्तु इस रोग के वाद आदमी ग्रधमरा होकर न रह जाये उसके लिए आप क्या व्यवस्था करना चाहते हैं ?

MR. SPEAKER: It is a suggestion for consideration.

श्री युवराज : ग्रध्यक्ष महोदय, कालाजार का प्रकोप न केवल बिहार में बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु तक बढ़ा है । मैं जानना चाहता हूँ कि कालाजार की चिकित्सा के लिए हेल्थ विभाग ने प्लानिंग कमीशन से 2 करोड़ 11 लाख रुपए की मांग की थी उसे प्लानिंग कमीशन ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि चिकित्सा राज्य का मामला है—क्या यह बात सही है ? क्या पैसे के अभाव में ही जहां जहां कालाजार का प्रकोप बढ़ा है वहां वहां समुचित रूप से न चिकित्सा हो रही है और न ही उसका ठीक से सर्वेक्षण कराया गया है ? सरकार को यह भी पता नहीं है कि पूरे देश भर में कालाजार से कितने लोग मरे हैं । इस लिये मैं जानना चाहता हूँ—क्या यह बात सही है कि प्लानिंग कमीशन से इस के लिये रुपये की मांग की गई थी, लेकिन प्लानिंग कमीशन ने यह कह कर उस मांग को ठुकरा दिया कि यह मामला राज्य सरकार का है, केन्द्र का नहीं है ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन्, माननीय सदस्य ने पुरानी बात को उठाया है । यह जनता सरकार के समय की बात नहीं है । जनता सरकार के आने के पहले इस तरह की मांग की गई थी, लेकिन प्लानिंग कमीशन ने यह सोच कर कि स्वास्थ्य का

विषय राज्य सरकारों का है, किसी एक बीमारी का इलाज किया जाता है तो वह राज्य सरकारें करें—उन्होंने उस समय उस मांग को स्वीकार नहीं किया था। बाद में इस बीमारी का प्रकोप बढ़ा और गंत वर्ष जैसे ही हमें इस बीमारी का पता लगा, हमने प्लानिंग कमिशन को एप्रोच किया और उन को बताया कि इस को स्वास्थ्य के विषय में नहीं लिया जाना चाहिये, बल्कि इस बीमारी ने महामारी का रूप धारण कर लिया है, इस लिये पैसा दिया जाये तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूँ—मलेरिया फंड से 134.86 लाख रुपये की पूरी योजना बना कर हम बिहार में उस कार्यक्रम को लागू कर रहे हैं और पैसे के अभाव में या दवा के अभाव में किसी को मरने नहीं देंगे—यह निश्चित बात है।

(c)

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

New All-Cargo Flights from New Delhi to London by Air India and British Airways

*987 SHRI K. MALLANNA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some new all-cargo flights from New Delhi to London have been decided by the Air India and British Airways ;

(b) whether some new destinations have also been brought on its services through India, Tokyo and Kuala Lumpur in the East and Baghdad in the West ; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURU-SHOTTAM KAUSHIK): (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir. With effect from April 1978, British Airways have introduced some scheduled services through India, which touch Tokyo and Kuala Lumpur in the East, and Baghdad in the West, but these are not all cargo, but passenger-cum-cargo services.

S. No.	Flight No.	Routing	Type of Aircraft	Day of operation
1.	BA 003	London/Frankfurt/Delhi/Kuala Lumpur/Hongkong.	B-747	Saturday
2.	BA 021	London/Doha/Delhi/Hong Kong/Tokyo.	VC 10	Tuesday
3.	BA 022	Tokyo/Hong Kong/Delhi/Doha/London.	VC 10	Monday
4.	BA 221	London/Beirut/Baghdad/Delhi	VC 10	Wednesday & Sunday
5.	BA 220	Delhi/Baghdad/Beirut/London	VC 10	Monday & Thursday